भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 253

उत्तर देने की तारीख 21 मार्च, 2022

सोमवार, 30 फाल्गुन, 1943 (शक)

पथ विक्रेताओं के कौशल का विकास

***253 श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:**

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पथ विक्रेताओं को और अधिक आय अर्जित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं के कौशल के विकास हेतु राज्यों द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में मध्य प्रदेश सहित देश में पथ विक्रेताओं (हॉकर्स) के लिए सृजित किए गए रोजगार के अवसरों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में पथ विक्रेताओं हेतु इस कार्यक्रम का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा सड़क विक्रेताओं के कौशल विकास के बारे में दिनांक 21.03.2022 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 253* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) पीएमकेवीवाई के तहत, 18 राज्यों/संघ याज्य क्षेत्रों में 20 हजार से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में अब तक पीएमकेवीवाई के तहत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 30.11.2021 को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए कौशल उन्नयन (ई-कार्ट लाइसेंस के लिए) के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है, जिसमें चार महीने की अवधि में 2,500 से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कौशल विकास का उद्देश्य कौशल प्रदान करना है ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलें, विक्रेताओं को राजस्व सृजन के अधिक अवसर मिलें और विनियमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न हो तथा स्थानीय निकाय निर्धारित नियमों और बेहतर सेवाओं का पालन करें। उम्मीदवारों को पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद, और एफएसएसएआई से दोहरा प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के बावजूद, 686 स्ट्रीट फ़ूड विक्रेताओं को नामांकित किया गया है जिनमें से 417 स्ट्रीट फ़ूड विक्रेताओं को अब तक उन्मुख किया गया है।

(घ) और (ङ) 'स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए कैशल उन्नयन (ई-कार्ट लाइसेंस के लिए)' की परियोजना पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के लिए एक प्रायोगिक परियोजना है। इसके अलावा, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में इस परियोजना का विस्तार करने की मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

अनुबंध

पीएमकेवीवाई के तहत लाभान्वित होने वाले स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की राज्य-वार संख्या (31.12.2021 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)			पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	
		प्रशिक्षित	प्रमाणित	नियोजित	उन्मुख	प्रमाणित
1.	असम	0	0	0	10,651	7,883
2.	चंडीगढ़	180	165	136	0	0
3.	छत्तीसगढ	30	19	12	0	0
4.	दिल्ली	279	220	0	996	177
5.	गोवा	63	54	18	0	0
6.	गुजरात	240	187	94	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	100	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	284	118
9.	झारखंड	0	0	0	676	394
10.	महाराष्ट्र	56	44	0	0	0
11.	उड़ीसा	0	0	0	1,417	983
12.	तमिलनाडु	1,006	763	442	0	0
13.	तेलंगाना	120	119	0	0	0
14.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	120	117	87	0	0
15.	त्रिपुरा	150	144	42	0	0
16.	उत्तर प्रदेश	355	321	271	3,165	2,075
17.	उत्तराखंड	617	521	299	60	50
18.	पश्चिम बंगाल	120	116	2	0	0
योग		**3,336**	**2,790**	**1,403**	**17,349**	**11,680**

*****